

प्रेस नोट

मीडिया सेल एटीएस उ.प्र.

वाराणसी पुलिस तथा यूपी एटीएस की संयुक्त कार्यवाही में छद्म नाम से जालसाजी करने वाला गिरफ्तार

लखनऊ: 2 जनवरी 2018

वाराणसी पुलिस तथा यूपी एटीएस के संयुक्त कार्यवाही में छद्म नाम से रहकर जालसाजी करने वाले एक अभियुक्त मो. कामरान रजा निवासी भागलपुर बिहार को आज रात वाराणसी से गिरफ्तार किया गया।

उत्तर प्रदेश एटीएस को अभिसूचना प्राप्त हुई कि वाराणसी जेल के पास अविनाश कुमार सिंह नाम से एक व्यक्ति किराए का मकान लेकर रह रहा है जो अपने को एसबीआई बैंक का मैनेजर बताता है, जिसकी गतिविधियाँ संदिग्ध हैं। इस अभिसूचना की जाँच एटीएस की वाराणसी इकाई द्वारा की गयी तो निम्न तथ्य प्रकाश में आए –

- अविनाश कुमार सिंह सुभद्रा कालोनी जेल रोड पर रविशंकर राय के मकान में दस हजार रुपये किराया दे कर रहता है और एक नौकर रखता है जिसे दस हजार रुपये महीना देता है। उसके पास तीन गाड़ियाँ – दो स्विफ्ट डिज़ायर, एक इटियोस व एक स्कूटी है। यह व्यक्ति अक्सर हवाई जहाज से दिल्ली आता-जाता है। इस व्यक्ति का मासिक खर्च लगभग दो लाख रुपये है।
- इस व्यक्ति का असली नाम कामरान रजा पुत्र मो. अनीस-उल निवासी ग्राम-इमादपुर समस्तीपुर थाना-शाहकुंड, जनपद-भागलपुर बिहार है। इसी नाम से यह हवाई जहाज के टिकट बुक कराता था तथा होटल में रुकता था। इसका किसी भी बैंक में काम करना नहीं पाया गया।
- लोगों को धोखा देने एवं ठगी करने के लिए अपने को एसबीआई का मैनेजर बताता था तथा एक कूटरचित एसबीआई मैनेजर का परिचय-पत्र दिखाकर लोगों को प्रभाव में लेता था।
- जाँच में इस व्यक्ति का कई लड़कियों से संबंध होना तथा उनसे मोबाइल फ़ोन पर लम्बी-लम्बी बात करना प्रकाश में आया है।
- आज रात को उत्तर प्रदेश एटीएस व वाराणसी पुलिस द्वारा कामरान रजा @अविनाश कुमार सिंह को हिरासत में लेकर प्रारम्भिक पूछताछ में कई लोगों से ठगी करने करने की बात प्रमाणित हुई है जिसके

अभियुक्त का विवरण



अभि. - मो. कामरान रजा
निवासी- भागलपुर, बिहार

कामरान रजा पुत्र मो. अनीस-उल
निवासी ग्राम-इमादपुर समस्तीपुर थाना-
शाहकुंड, जनपद-भागलपुर बिहार

बरामदगी

1. अविनाश कुमार के नाम से कूटरचित एसबीआई मैनेजर का परिचय पत्र।
2. कामरान रजा का वोटर आई कार्ड व आधार कार्ड।
3. चार मोबाइल फ़ोन एक लैपटॉप।
4. 171800 रुपए नगद।

सम्बन्ध में मु.अ.संख्या 2/18 धारा 417,419,420,467,468,471 भादवि थाना शिवपुर वाराणसी पर पंजीकृत किया गया ।

अभियुक्त कामरान से निम्न बिन्दुओं पर गहन पूछताछ की जा रही है –

- अभियुक्त वाराणसी जेल के पास छद्म नाम से क्यों रहा था कहीं जेल में बंद किसी अपराधी से इसका कोई सम्बन्ध तो नहीं ?
- अभियुक्त कई लड़कियों /महिलाओं से लगातार लम्बी लम्बी बातें कर रहा था ।
- अभियुक्त द्वारा कितने लोगों से ठगी की गयी?

गिरफ्तार करने वाली टीम –

उ. नि . रितेश सिंह , आरक्षी मुस्लिम अंसारी, आरक्षी आलोक सिंह, आरक्षी प्रभात दिवेदी, आरक्षी रणविजय तिवारी, आरक्षी राजेश राय, आरक्षी राजकमल सिंह उत्तर प्रदेश एटीएस तथा उ. नि. पवन उपाध्याय थाना प्रभारी शिवपुर , उ.नि. विनोद कुमार सिंह थाना शिवपुर वाराणसी ।

-असीम अरूण IG UP ATS